

प्रेषक,

सी०एस० नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

देहरादून:

दिनांक 19 अप्रैल, 2016

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सम्पत्ति विभाग की आयोजनागत मद के अन्तर्गत पी०एल०ए० (P.L.A.) में जमा धनराशि की अवधि विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद देहरादून के रायपुर में सचिवालय, विधानभवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु संबंधित मद में उपयोग में लाए जाने हेतु शासनादेश संख्या-536/xxxii(1)/01(एक)-21/2014, दिनांक 29 मार्च 2014 (छायाप्रति संलग्न) एवं शासनादेश संख्या-407/xxxii(1)/01(एक)-21/(पी.एल.ए.)/2014-15, दिनांक 31 मार्च 2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणानुसार आपके पी०एल०ए० खाते में जमा कुल धनराशि ₹ 75.00 करोड़ (₹ पचहत्तर करोड़ मात्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तवत प्रश्नगत कार्ययोजना हेतु अपेक्षित वन भूमि हस्तान्तरण संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गयी है। उक्तवत सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में प्रश्नगत वन भूमि के विधिवत हस्तान्तरण संबंधी आवश्यक अनुपालन की कार्यवाही प्रचलित है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत वन भूमि के विधिवत हस्तान्तरण के उपरान्त पी०एल०ए० में जमा संबंधित मद की धनराशि का उपयोग कर लिए जाने के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक उक्त धनराशि को पी०एल०ए० में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-02P/xxvii(5)/2016, दिनांक 12 अप्रैल, 2016 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(सी०एस० नपलच्याल)
सचिव।

पृ० संख्या-445(1)/xxxii(1)-2016/01(एक)-21/2014, तददिनांक ।

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।

2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला ।

(2)

- 3- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- 4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- 9- निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।